



Select Language:

English

Public Authorities

RTI Online

Version 2.0

An Initiative of Department of Personnel & Training, Government of India

[Home](#) [Submit Request](#) [Submit First Appeal](#) [View Status](#) [View History](#) [Login](#) [User Manual](#) [Contact Us](#) [FAQ](#)

Final Status of [MOHFW/R/E/21/06831](#)

Applicant Name	Dadaso Vasant Kashid
Date of receipt	24/11/2021
Request Filed With	Department of Health & Family Welfare
Text of Application	Covid19 TIKKA VACCINE SWAICHIK HAINE YA SABHIKO KAMPLSIRI LENA HOGA YA SUBHIKO KAMPLSRI TIKKA DIYA JAYENGA. JIS VAIKTI NE TIKKA NAHI LIYA UOSKI SARKARI SUOVIDHA BAND HONGI KEYA TIKKA NA LENE VALE VAIKTO KO KISI BHI PARKAR KE JOB SE NIKALA JA SAKTA HAINE KEYA VACCINE HELTH UID NUMBER BANK ACCOUNT VAGERA SE YA ANYE DASTAVEJO PAR LINK KARVAYA JAYENGA KEYA .
Request document (if any)	
Status	REQUEST DISPOSED OF as on 24/11/2021
Date of Action	24/11/2021
Remarks	<p>Reply :- आपका आरटीआई आवेदन RTI Cell, MoHFW/अन्य सीपीआईओ (CPIO) से प्राप्त हुआ है। जहां तक इस प्रकोष्ठ/कार्यालय अर्थात कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन प्रकोष्ठ (सीवीएसी)/अंडरहस्ताक्षरित सीपीआईओ का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि</p> <p>COVID-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि, इस बीमारी से खुद को बचाने के लिए COVID-19 वैक्सीन का पूरा शेड्यूल प्राप्त करना उचित है और इस बीमारी के प्रसार को परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों सहित करीबी संपर्कों तक पहुंचने से रोकना है।</p> <p>यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्पष्टीकरण और काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।</p> <p>COVID-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि, राज्य सरकार या जिला प्रशासन या अन्य कार्यालय द्वारा स्वयं या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान/विनियम/नियम आदि के तहत या निजी क्षेत्र, निजी कंपनियों, कार्यालय आदि द्वारा COVID-19 के लिए अनिवार्य टीकाकरण के संबंध में जारी किया गया कोई आदेश या नियम आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।</p> <p>यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं और अपील के लिए जाना चाहते हैं, तो आप श्री सचिन कुमार, उप सचिव और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से इस उत्तर की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।</p>
Print	

[Home](#) | [National Portal of India](#) | [Complaint & Second Appeal to CIC](#) | [FAQ](#) | [Policy](#)

Copyright © 2021. All rights reserved. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, New Delhi and Contents Owned by DOP&T